सेशेल्स का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन — केवल हिंदी भाषा में

ISBN NO: - 978-81-997724-5-8

AUTHOR NAME: -

MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

Advocate, Bombay High Court

1. **BOOK TITLE :** सेशेल्स का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन — केवल हिंदी भाषा में

2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-997724-5-8**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. SHRIRANG SAVALA NALE HUF –** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

सेशेल्स का संविधान

प्रस्तावना (Preamble) — विस्तृत सूची

1. सेशेल्स के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं कि वे विश्व के सबसे सुंदर देशों में से एक में निवास करते हैं।
2. सेशेल्स की विशिष्टता एवं पर्यावरणीय नाजुकता के प्रति निरंतर सजग हैं।
3. स्वतंत्र गणराज्य बनने से पूर्व के औपनिवेशिक इतिहास के प्रति जागरूक हैं।
4. विभिन्न नस्लों के वंशज होते हुए भी एक राष्ट्र के रूप में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर गर्व करते हैं।
5. विभाजित विश्व के दबावों के बावजूद राष्ट्रीय स्थिरता एवं राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त की है।
6. न्यायपूर्ण, भ्रातृत्वपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण की आकांक्षा रखते हैं।
7. मानव गरिमा तथा समान एवं अविच्छिन्न अधिकारों को स्वतंत्रता, न्याय, शांति और एकता की आधारशिला मानते हैं।
8. यह पुनः पुष्टि करते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार भेदभाव से मुक्त है।
9. यह स्वीकार करते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में ही अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षण संभव है।
10. भावी पीढ़ियों हेतु स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शासन ढांचे को अपनाते हैं।
11. ईश्वर का आह्वान करते हुए तृतीय गणराज्य में संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।

अध्याय I : गणराज्य (The Republic)

अनुच्छेद 1

1. सेशेल्स एक **संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य** है।

अनुच्छेद 2 : क्षेत्र

1. सेशेल्स द्वीपसमूह
2. प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक जल
3. समुद्रतल एवं अधस्तल
4. वायु क्षेत्र
5. कानून द्वारा घोषित अन्य क्षेत्र

अनुच्छेद 3 : राष्ट्रीय प्रतीक

1. सार्वजनिक मुहर
2. राष्ट्रीय ध्वज
3. राष्ट्रगान
4. राष्ट्रीय प्रतीक
5. राष्ट्रीय आदर्श वाक्य

अनुच्छेद 4 : राष्ट्रीय भाषाएँ

1. क्रियोल
2. अंग्रेज़ी
3. फ्रेंच

अनुच्छेद 5 : संविधान की सर्वोच्चता

1. संविधान सर्वोच्च कानून है।
2. असंगत कानून शून्य होगा।
3. अनुसूची-2 द्वारा व्याख्या नियंत्रित।

अध्याय II : नागरिकता (Citizenship)

अनुच्छेद 6

1. संविधान लागू होने से पूर्व के नागरिक नागरिक बने रहेंगे।

अनुच्छेद 8

1. संविधान के बाद सेशेल्स में जन्म लेने वाला नागरिक होगा।

अनुच्छेद 9 : अपवाद

1. माता-पिता में कोई भी नागरिक न हो
2. माता-पिता राजनयिक हों
3. शत्रु राष्ट्र के नागरिक हों

अनुच्छेद 10

1. विदेश में जन्मे सेशेल्स मूल के व्यक्ति नागरिकता के पात्र।

अनुच्छेद 12

1. सेशेल्स नागरिक से विवाह द्वारा नागरिकता संभव।

अनुच्छेद 13

1. दोहरी नागरिकता मान्य
2. अवैध नागरिकता रद्द की जा सकती है
3. नागरिकों का रजिस्टर बनाए रखने का प्रावधान

अनुच्छेद 14

1. जहाज/विमान पर जन्म की स्थिति की व्याख्या।

अध्याय III

भाग I : मौलिक मानव अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 15 : जीवन का अधिकार

1. जीवन का अधिकार
2. मृत्युदंड पूर्णतः निषिद्ध

अनुच्छेद 16

1. मानवीय गरिमा का अधिकार
2. यातना व अमानवीय व्यवहार निषिद्ध

अनुच्छेद 17

1. दासता एवं बंधुआ श्रम निषिद्ध

अनुच्छेद 18

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता
2. 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुति
3. अवैध हिरासत पर मुआवज़ा

अनुच्छेद 19

1. निष्पक्ष सुनवाई
2. निर्दोषता की धारणा
3. वकील का अधिकार
4. दोहरी सजा निषिद्ध

अनुच्छेद 20

1. निजता का अधिकार
2. तलाशी व संचार अवरोध केवल विधि अनुसार

अनुच्छेद 21

1. धर्म की स्वतंत्रता
2. राज्य धर्म निषिद्ध

अनुच्छेद 22

1. अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 23

1. शांतिपूर्ण सभा
2. संगठन व संघ बनाने का अधिकार

अनुच्छेद 24

1. मताधिकार
2. चुनाव लड़ने का अधिकार

अनुच्छेद 25

1. आवागमन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26

1. संपत्ति का अधिकार
2. उचित मुआवज़ा अनिवार्य

अनुच्छेद 27

1. कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 28

1. सूचना का अधिकार

अनुच्छेद 29

1. स्वास्थ्य का अधिकार
2. मातृत्व संरक्षण

अनुच्छेद 32

1. परिवार का संरक्षण
2. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
3. कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा

अनुच्छेद 39

1. संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण

भाग II : मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

1. संविधान एवं कानून का सम्मान
2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा

3. ईमानदारी से कार्‌य
4. समुदाय के कल्याण में योगदान
5. पर्यावरण संरक्षण
6. प्रस्तावना के आदर्शों की पूर्ति

भाग I : मौलिक मानव अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ (Remaining after Article 39)

अनुच्छेद 40 : अधिकारों का दुरुपयोग निषिद्ध

1. इस चार्टर के किसी भी अधिकार का प्रयोग इस उद्देश्य से नहीं किया जा सकता कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या स्वतंत्रताओं को नष्ट किया जाए।
2. कोई व्यक्ति या समूह संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करने वाली गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकता।

भाग III : आपातकाल की स्थिति एवं संरक्षण

अनुच्छेद 41–44

अनुच्छेद 41 : आपातकाल की घोषणा

1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या गंभीर नागरिक आपात स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है।
2. घोषणा राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित की जाएगी।
3. घोषणा 7 दिनों में स्वतः समाप्त हो जाएगी, यदि राष्ट्रीय सभा द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदित न की जाए।
4. अनुमोदन के बाद अधिकतम अवधि 3 माह होगी।
5. राष्ट्रीय सभा साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त कर सकती है।
6. नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने पर 7 दिनों में आपातकाल समाप्त हो जाएगा।
7. वही कारण बताते हुए 30 दिनों तक पुनः आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता (जब तक संसद अनुमति न दे)।

अनुच्छेद 42 : आपातकाल में राष्ट्रीय सभा

1. यदि घोषणा के समय सभा सत्र में नहीं है, तो अध्यक्ष (Speaker) 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा।
2. यदि सभा भंग हो चुकी है, तो राष्ट्रपति भंग सभा के सदस्यों को अस्थायी रूप से बुला सकता है।

अनुच्छेद 43 : आपातकालीन कानून

1. केवल वही उपाय किए जा सकते हैं जो स्थिति से निपटने के लिए अनिवार्य हों।
2. निम्न अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता—
    - जीवन का अधिकार
    - यातना निषेध
    - दासता निषेध
    - निष्पक्ष सुनवाई के मूल तत्व
3. निरोध (Detention) की स्थिति में—
    - कारण लिखित रूप में बताना
    - राजपत्र में नाम प्रकाशित करना
    - स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा
    - वकील से परामर्श का अधिकार
4. यदि निरोध आवश्यक न हो तो तत्काल रिहाई।

अनुच्छेद 44 : अनुशासन बल

1. सेना, पुलिस आदि के लिए सीमित अधिकार हनन संभव।
2. नरसंहार (Genocide) एवं मानवता के विरुद्ध अपराध किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं।

भाग IV : उपचार (Remedies)

अनुच्छेद 46 : संवैधानिक उपचार

1. मौलिक अधिकार उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति **संवैधानिक न्यायालय** में आवेदन कर सकता है।
2. असमर्थ व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।
3. यदि अन्य कानून के तहत पर्याप्त उपचार उपलब्ध हो, तो न्यायालय आवेदन अस्वीकार कर सकता है।
4. न्यायालय की शक्तियाँ—
   - उल्लंघन की घोषणा
   - असंवैधानिक कानून को शून्य घोषित करना
   - आदेश, रिट, निर्देश जारी करना
   - क्षतिपूर्ति प्रदान करना
5. राज्य के विरुद्ध मामलों में प्रमाण का भार राज्य पर होगा।

भाग V : व्याख्या के सिद्धांत

अनुच्छेद 47–49

अनुच्छेद 47 : सीमाओं की व्याख्या

1. अधिकारों पर सीमाएँ केवल आवश्यक सीमा तक हों।
2. सीमाओं का प्रयोग केवल निर्धारित उद्देश्य हेतु हो।

अनुच्छेद 48 : अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार

1. संविधान की व्याख्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप होगी।

2. न्यायालय निम्न का संज्ञान ले सकता है—
    - अंतरराष्ट्रीय संधियाँ
    - अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निर्णय
    - अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान

अनुच्छेद 49 : परिभाषाएँ

इस अध्याय में—

1. "चार्टर" = मौलिक मानव अधिकार चार्टर
2. "न्यायालय" = विधि द्वारा स्थापित न्यायालय
3. "लोकतांत्रिक समाज" = अधिकार, सहिष्णुता व विधि का शासन
4. "अनुशासन बल" = सेना, पुलिस, कारागार सेवा
5. "लोक सेवक" = सरकारी प्राधिकरण में कार्यरत व्यक्ति

अध्याय IV : राष्ट्रपति (The President)

अनुच्छेद 50–65

अनुच्छेद 50 : राष्ट्रपति का पद

1. सेशेल्स में एक राष्ट्रपति होगा।
2. राष्ट्रपति—
    - राष्ट्राध्यक्ष
    - सरकार प्रमुख
    - सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा।

अनुच्छेद 51 : राष्ट्रपति की योग्यता एवं चुनाव

1. राष्ट्रपति बनने हेतु—
    - सेशेल्स का नागरिक होना आवश्यक
    - मतदाता के रूप में अयोग्य न हो
2. राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर **संवैधानिक न्यायालय** को अधिकार।

अनुच्छेद 52 : कार्यकाल

1. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष।
2. अधिकतम 2 कार्यकाल।
3. आपातकाल या युद्ध में संसद द्वारा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद 52A : समयपूर्व चुनाव

1. राष्ट्रपति एक वर्ष बाद पुनः जनादेश हेतु चुनाव घोषित कर सकता है।

अनुच्छेद 53 : मानसिक/शारीरिक अक्षमता

1. मंत्रिमंडल या संसद द्वारा जांच प्रस्ताव।
2. चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट।
3. 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 54 : महाभियोग

1. संविधान उल्लंघन या गंभीर कदाचार।
2. संवैधानिक न्यायालय द्वारा जांच।
3. संसद के 2/3 बहुमत से पदच्युत।

अनुच्छेद 55 : पद रिक्ति

1. मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने पर—
    - उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा।

अनुच्छेद 58–59 : वेतन एवं प्रतिरक्षा

1. वेतन व पेंशन संचित निधि से।
2. पद पर रहते आपराधिक/दीवानी कार्यवाही से संरक्षण।

अनुच्छेद 60–65 : क्षमादान व नियुक्तियाँ

1. माफी, दंड-स्थगन, दंड-परिवर्तन की शक्ति।
2. उच्च पदों पर नियुक्तियाँ।
3. अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर।

अध्याय V : कार्यपालिका (The Executive)

अनुच्छेद 66–77

अनुच्छेद 66 : कार्यपालिका शक्ति

1. कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित।
2. संविधान व कानून के अनुसार प्रयोग।

अनुच्छेद 66A : उपराष्ट्रपति

1. राष्ट्रपति के साथ निर्वाचित।
2. अधिकतम 2 कार्यकाल।
3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार।

अनुच्छेद 67 : मंत्रिमंडल

1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री।
2. सरकार की नीति निर्धारण संस्था।

अनुच्छेद 69–75 : मंत्री

1. न्यूनतम 7, अधिकतम 14 मंत्री।
2. संसद की स्वीकृति आवश्यक।
3. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 76 : अटॉर्नी जनरल

1. सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार।
2. अभियोजन की स्वतंत्र शक्ति।

अध्याय VI : विधायिका (Legislature)

अनुच्छेद 78–111

अनुच्छेद 78 : राष्ट्रीय सभा

1. सेशेल्स की संसद = राष्ट्रीय सभा।
2. प्रत्यक्ष निर्वाचित एवं आनुपातिक सदस्य।

अनुच्छेद 79–82 : चुनाव एवं सदस्यता

1. सामान्य चुनाव हर 5 वर्ष।
2. रिक्ति, त्यागपत्र, अयोग्यता के आधार।
3. चुनाव विवादों पर संवैधानिक न्यायालय।

अनुच्छेद 83 : अध्यक्ष (Speaker)

1. संसद द्वारा निर्वाचित।
2. कार्यवाही का संचालन।

अनुच्छेद 84–84A

1. विपक्ष का नेता।
2. सरकार के कार्यों का नेता।

अनुच्छेद 86–88 : विधायी प्रक्रिया

1. विधेयक → राष्ट्रपति की स्वीकृति।
2. असहमति पर संवैधानिक न्यायालय को संदर्भ।

अनुच्छेद 91 : संविधान संशोधन

1. 2/3 बहुमत आवश्यक।
2. कुछ अध्यायों हेतु जनमत संग्रह अनिवार्य।

अनुच्छेद 106–111 : सत्र एवं विघटन

1. कार्यकाल 5 वर्ष।
2. राष्ट्रपति द्वारा सीमित परिस्थितियों में विघटन।

अध्याय VII : निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 112–118

1. निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण।
2. मतदाता योग्यता।
3. स्वतंत्र निर्वाचन आयोग।

4. चुनाव खर्च एवं राजनीतिक दलों का नियंत्रण।

अध्याय VIII : न्यायपालिका (Judiciary)

अनुच्छेद 119–131

अनुच्छेद 119 : संरचना

1. अपीलीय न्यायालय।
2. सर्वोच्च न्यायालय।
3. अधीनस्थ न्यायालय।

अनुच्छेद 120–124 : कोर्ट ऑफ अपील

1. सर्वोच्च अपीलीय अधिकार।
2. संवैधानिक मामलों को प्राथमिकता।

अनुच्छेद 125–128 : सुप्रीम कोर्ट

1. मूल अधिकार, रिट एवं पर्यवेक्षण।
2. मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश।

अनुच्छेद 129–130 : संवैधानिक न्यायालय

1. न्यूनतम 2 न्यायाधीश।
2. संविधान उल्लंघन पर अधिकार।

अनुच्छेद 131 : न्यायाधीशों का कार्यकाल

1. सेशेल्स नागरिक – 70 वर्ष।
2. विदेशी न्यायाधीश – निश्चित अवधि।

ध्याय VIII : न्यायपालिका (जारी)

भाग V : अपीलीय न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों की सेवा शर्तें

अनुच्छेद 132–137

अनुच्छेद 132 : वेतन एवं सेवा शर्तें

1. अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का—

   - वेतन
   - भत्ते
   - पेंशन
   - सेवा शर्तें

   कानून द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
2. इन वेतन एवं भत्तों का भुगतान **संचित निधि (Consolidated Fund)** से किया जाएगा।
3. नियुक्ति के बाद किसी भी न्यायाधीश की सेवा शर्तें उसके नुकसान में परिवर्तित नहीं की जा सकतीं।

अनुच्छेद 133 : शपथ

1. प्रत्येक अपीलीय न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश—
   - पद ग्रहण करने से पूर्व
   - विधि द्वारा निर्धारित शपथ लेगा।
2. शपथ संविधान के प्रति निष्ठा एवं निष्पक्ष न्याय के पालन की होगी।

अनुच्छेद 134 : न्यायाधीशों को पद से हटाना

1. किसी अपीलीय न्यायाधीश या न्यायाधीश को केवल—
   - सिद्ध कदाचार (Misconduct), या
   - अक्षमता (Incapacity)

   के आधार पर हटाया जा सकता है।
2. पदच्युत करने की प्रक्रिया—
   - राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ
   - स्वतंत्र जांच समिति का गठन
   - समिति की रिपोर्ट

3. रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने का निर्णय।
4. प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं न्यायसंगत होगी।

अनुच्छेद 135 : अंतरिम निलंबन

1. अनुच्छेद 134 के अंतर्गत जांच लंबित रहने के दौरान—
    - राष्ट्रपति न्यायाधीश को निलंबित कर सकता है।
2. निलंबन अवधि में—
    - न्यायाधीश को वेतन एवं भत्ते मिलते रहेंगे,
      जब तक कानून अन्यथा न कहे।

अनुच्छेद 136 : न्यायिक आचरण

1. अपीलीय न्यायाधीश एवं न्यायाधीश—
    - किसी अन्य वेतनयुक्त पद पर कार्य नहीं करेंगे।
2. वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे—
    - जो न्यायिक निष्पक्षता या गरिमा को ठेस पहुँचाए।
3. न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 137 : अधीनस्थ न्यायालय

1. संविधान के अंतर्गत—
    - संसद अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों की स्थापना कर सकती है।
2. इन न्यायालयों को—
    - विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
3. अधीनस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के—
    - पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

अध्याय IX : लोक सेवा (Public Service)

अनुच्छेद 138–150

अनुच्छेद 138 : लोक सेवा

1. लोक सेवा का गठन संविधान के अनुसार किया जाएगा।
2. लोक सेवक राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद 139 : संवैधानिक नियुक्ति प्राधिकरण

1. एक **संवैधानिक नियुक्ति प्राधिकरण** होगा।
2. यह उच्च संवैधानिक पदों हेतु योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करेगा।
3. प्राधिकरण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा।

अनुच्छेद 140 : लोक सेवा आयोग

1. लोक सेवा आयोग की स्थापना।
2. नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुशासन से संबंधित अधिकार।

अनुच्छेद 141 : आयोग की स्वतंत्रता

1. आयोग अपने कार्यों में स्वतंत्र होगा।
2. किसी बाहरी हस्तक्षेप के अधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद 142–145 : सेवा शर्तें

1. लोक सेवकों की सेवा शर्तें कानून द्वारा निर्धारित।
2. वेतन, पेंशन एवं भत्ते संचित निधि से।

अध्याय X : पुलिस बल

अनुच्छेद 151–154

अनुच्छेद 151 : पुलिस बल की स्थापना

1. सेशेल्स में एक पुलिस बल होगा।
2. इसका कार्य—

- विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना
- अपराध की रोकथाम एवं जांच

अनुच्छेद 152 : पुलिस की भूमिका

1. पुलिस निष्पक्ष एवं राजनीतिक रूप से तटस्थ होगी।

अनुच्छेद 153–154

1. पुलिस सेवा की शर्तें कानून द्वारा नियंत्रित।

अध्याय XI : सशस्त्र बल (Defence Forces)

अनुच्छेद 165–169

अनुच्छेद 165 : सशस्त्र बल

1. सेशेल्स के सशस्त्र बलों की स्थापना।
2. राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होगा।

अनुच्छेद 166 : निजी सशस्त्र बलों का निषेध

1. किसी निजी सेना या सशस्त्र समूह की अनुमति नहीं।

अनुच्छेद 167 : रक्षा परिषद

1. रक्षा परिषद का गठन।
2. राष्ट्रीय रक्षा नीति पर सलाह।

अनुच्छेद 168–169

1. नियुक्तियाँ, कर्तव्य एवं अनुशासन कानून द्वारा नियंत्रित।

अध्याय XII : सेशेल्स के कानून

अनुच्छेद 170

अनुच्छेद 170 : विद्यमान कानून

1. संविधान लागू होने से पूर्व के कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक वे संविधान से असंगत न हों।

अध्याय XIII : विविध प्रावधान (Miscellaneous)

अनुच्छेद 171–173

अनुच्छेद 171 : व्याख्या

1. संविधान में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा।

अनुच्छेद 172 : विधायी प्रावधान

1. संसद को सहायक कानून बनाने की शक्ति।

अनुच्छेद 173 : अनुषंगी प्रावधान

1. संविधान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रावधान।

अध्याय XIV : संक्रमणकालीन प्रावधान

अनुच्छेद 174–192

अनुच्छेद 174 : पूर्व संविधान

1. पूर्व संविधान के अंतर्गत किए गए कार्य वैध माने जाएंगे।

अनुच्छेद 175–180 : निरंतरता

1. न्यायालय, वित्त, पुलिस एवं सैन्य सेवाओं की निरंतरता।
2. पदस्थ अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे।

अनुच्छेद 181–185 : अनुकूलन

1. कानूनों को नए संविधान के अनुरूप ढालने की व्यवस्था।

अनुच्छेद 186–190 : अंतरिम व्यवस्थाएँ

1. नई संस्थाओं की स्थापना तक अस्थायी प्रावधान।

अनुच्छेद 191–192 : प्रारंभ

1. संविधान के प्रवर्तन की तिथि।
2. अनुसूचियों की वैधता।

अनुसूचियाँ (Schedules)

1. **प्रथम अनुसूची** – सेशेल्स का क्षेत्र
2. **द्वितीय अनुसूची** – राष्ट्रपति की शपथ
3. **तृतीय अनुसूची** – राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया
4. **चतुर्थ अनुसूची** – आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
5. **अन्य अनुसूचियाँ** – शपथ, घोषणाएँ एवं अनुपालन